तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए

एकल–पीठ
श्री रामनिवास जाट, सदस्य

उपस्थित :
श्री शोकिंदलाल गुर्जर, उप राजकीय अभिभाषक
श्री सुनिल कडवासरा, अभिभाषक रेस्पोडेंटस ब्रीफ होल्डर

आदेश

यह अपील राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि भूमि अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 23 (2) के अंतर्गत अतिरिक्त जिला कलेक्टर, हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 26–5–01 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गयी है।

अपीलांट सरकार द्वारा प्रस्तुत इस अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि उपखंड अधिकारी नोहर ने खातेदार हनुमान पुत्र हजारी रेस्पोडेंट के पिता एसेसी के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाहीं प्रारम्भ करते हुये अपने आदेश दिनांक 31–12–99 के द्वारा खातेदार के पास सीलिंग सीमा से कम आराजी होना मानते हुये सीलिंग कार्यवाही को समाप्त करने के आदेश पारित किये। जिसके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 26–5–01 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर दी। अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ के उक्त निर्णय के विरूद्व राज्य सरकार द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील प्रार्थना पत्र में उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में अभिकथन किया कि अतिरिक्त कलेक्टर (प्रशासन) गंगानगर का निर्णय न्याय, नियम व रिकोर्ड के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक ईकाई के अलावा अतिरिक्त ईकाई का लाभ देने के लिये एसेसी के पुत्रों को बिना किसी साक्ष्य के बालिग पुत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	मानकर विधि विरूद्ध आदेश पारित किया है। सीलिंग प्रकरण का निस्तारण मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर नहीं किया जाकर न्यायालय को पुत्रों के बालिग होने बाबत् साक्ष्य सबुत लेनी चाहिये थी व साक्ष्य के पश्चात् ही उन्हें आदेश पारित करना चाहिये था किंतु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई जांच किये एसेसी के पुत्रों को बालिग मानकर अतिरिक्त ईकाई का लाभ देकर नियमों से परे निर्णय दिया है। एसेसी भूमिधारी के द्वारा धारित की जाने वाली भूमि के बाबत् बिना कोई जांच किये पारित आदेश निरस्तनीय है। सीलिंग अधिनियम की धारा 5 के अनुसार विवेचना नहीं की गई है। ऐसी स्थिति में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधि विरूद्ध होने से खारिज किये जाकर अपील स्वीकार की जावे। विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट का बहस में कथन है कि अतिरिक्त कलेक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत है। हनुमान के परिवार में कुल 8 बालिग युनिट तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार होने से एसेसी के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाहीं समाप्त की है। एसेसी के पास सीलिंग सीमा से ज्यादा रकबा कभी रहा ही नही। ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने रेस्पोडेंट के पिता के पास सीलिंग सीमा से अधिक भूमि नहीं होना मानते हुये उसके विरूद्ध प्रारम्भ की गई कार्यवाहीं समाप्त की है। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के समवर्ती निष्कर्ष है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होने से अपील खारिज की जावे। अभिभाषक उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का सावधानीपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। उपखंड अधिकारी नोहर ने हनुमान पुत्र हजारी रेस्पोडेंट के पिता एसेसी के विरूद्ध सीलिंग कार्यवाहीं प्रारम्भ करते हुये खातेदार के पास सीलिंग सीमा से कम आराजी होना मानते हुये सीलिंग कार्यवाही को समाप्त करने के आदेश पारित किये।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	जिसके विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ के समक्ष अपील प्रस्तुत होने पर अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 26–5–01 द्वारा अपीलांट की अपील खारिज कर दी। जिसके विरूद्व राज्य सरकार द्वारा यह द्वितीय अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने सीलिंग कार्यवाहीं समाप्त करते समय सीलिंग प्रकरण में निर्धारित तिथि को हनुमान के परिवार में बालिग सदस्यों की संख्या की गणना का समुचित दस्तावेजी आधार स्पष्ट नहीं किया है। बिना किसी समुचित साक्ष्य व प्रमाण के अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय में हनुमान एसेसी के पुत्रों को बालिग मानने का निष्कर्ष निकाला गया है। हनुमान के परिवार द्वारा धारित की जाने वाली भूमि शामिल में संयुक्त रूपसे धारण की जा रही थी या कौनसे सदस्य अलग अलग भूमि धारित करते थे, इस बिन्दु पर भी समुचित साक्ष्य एंव प्रमाण अपेक्षित है, जिसके आधार पर ही सीलिंग सीमा से अधिक भूमि होना/न होना के निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। सीलिंग कार्यवाहीं मात्र तहसीलदार की रिपोर्ट पर हनुमान के परिवार में कुल 8 युनिट मानते हुये समाप्त की गई है। सबंधित आराजी के कमाण्ड एरिया में सिंचाई धनत्व (प्रतिशत) का निर्धारण भी बिना किसी समुचित जांच या आधार पर किया गया है। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भूमि की सिंचाई सघनता की अधिकृत जानकारी प्राप्त करके उसके अनुसार धारण भूमि की किस्म को निम्नतर से उच्च श्रेणी की भूमि में सम्परिवर्तित करते हुये नियम अनुसार गणना करनी चाहिये थी, जिसका दोनों अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में अभाव है। उक्त सबंध में भी आवश्यक विस्तृत जांच व परीक्षण अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा अपने निर्णय में नहीं किया गया, जो पूर्णतः अपेक्षित है। ऐसी स्थिति में उपरोक्त आलोक में अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय को विधि संगत नहीं ठहराया जा सकता।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	यदपि इस प्रकरण में तहसीलदार की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है तथापित सरकारी पक्ष ने इसके अतिरिक्त अन्य कोई संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का निवेदन किया है। अतः उन्हें प्रकरण से सबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर देते हुये उभय पक्ष को पुर्ण सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुये हस्तगत् प्रकरण में विधिसंगत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया जाना हमारी सुविचारित राय में न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः हस्तगत द्वितीय अपील स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है और अतिरिक्त जिला कलेक्टर अनुमानगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26–5–01 को अपास्त करते हुये प्रकरण अतिरिक्त जिला कलेक्टर हनुमानगढ को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त व्यक्त अभिमत अनुसार प्रकरण की पुनः जांच करके निर्धारिति के तत्समय बालिग पुत्रों व संबधित भूमि की पूर्ण गणना करते हुये उभय पक्ष को सुनकर व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुतीकरण का समुचित अवसर देते हुये विधिक प्रावधानोंनुसार विधिसंगत नवीनतः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(रामनिवास जाट)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए